



बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026 परि0-

पटना, दिनांक-

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया एवं मुजफ्फरपुर द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा निम्नलिखित मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर किया गया है :-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत चिह्नित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-						
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	प्राधिकार का नाम	अभ्युक्ति
1		लालगढ़ से बगहा स्टेशन	बेतिया, लौरिया, चौतरवा, बगहा बाजार	171	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
2		अमनपुर से पटना	चुरौत, भीठामोर, सुरसंड, सीतामढी, डुमरा, बोहा चौक, गरहा, रुन्नीसैदपुर, झपहा, द्रोणपुर, सहवाजपुर, न्युजीरोमाईल बस स्टैंड मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर	189	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
3		जगनपुरा मोड़ से गांधी मैदान पटना	अजय मार्केट, कैंकड़बाग टेम्पु स्टैंड, पटना जंक्शन	10	आर०टी०ए०, पटना	
4		बरबीघा से मानपुर गया	सारें, वारसलीगंज, नवादा, हिसुआ, वजीरगंज	123	एस०टी०ए०, बिहार	

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1		नवादा से मलयपुर रेलवे स्टेशन	रोह, रूपी, कौआकोल, धमनी चौक, महुडर, रोपाबेल, चननवर, गडही, कुरवाटांड, खैरा, बोधवन तालाब, मसौडी, मलयपुर रेलवे स्टेशन	100	आर०टी०ए०, गया

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वे एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/-
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- आई०टी०, मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026 परि0-

4894

पटना, दिनांक- 15-06-20

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया एवं मुजफ्फरपुर द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा निम्नलिखित मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर किया गया है :-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत चिह्नित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-						
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	प्राधिकार का नाम	अभ्युक्ति
1		लालगढ़ से बगहा स्टेशन	बेतिया, लौरिया, चौतरवा, बगहा बाजार	171	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
2		अमनपुर से पटना	चुरीत, भीठामोर, सुरसंड, सीतामढ़ी, डुमरा, बोहा चौक, गरहा, रुन्नीसैदपुर, झपहा, द्रोणपुर, सहवाजपुर, न्युजीरोमाईल बस स्टैण्ड मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर	189	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
3		जगनपुरा मोड़ से गांधी मैदान पटना	अजय मार्केट, कंकड़बाग टेम्पु स्टैण्ड, पटना जंक्शन	10	आर०टी०ए०, पटना	
4		बरबीघा से मानपुर गया	सारं, वारसलीगंज, नवादा, हिसुआ, वजीरगंज	123	एस०टी०ए०, बिहार	

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1		नवादा से मलयपुर रेलवे स्टेशन	रोह, रूपी, कौआकोल, धमनी चौक, महुडर, रोपाबेल, चननवर, गड़ही, कुस्वांटांड, खैरा, बोधवन तालाब, मसौदी, मलयपुर रेलवे स्टेशन	100	आर०टी०ए०, गया

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वे एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

15.6.24
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-

क्र० सि०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1		नवादा से मलयपुर रेलवे स्टेशन	रोह, रूपौ, कौआकोल, धमनी चौक, महुडर, रोपाबेल, चन्ननवर, गड़ही, कुरवाटांड, खैरा, बोधवन तालाब, मसौदी, मलयपुर रेलवे स्टेशन	100	आर०टी०ए०, गया

h

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-

क्र.सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	प्राधिकार का नाम	अवस्थिति
1		लालगढ़ से बगहा स्टेशन	बेतिया, लौरिया, चौतरवा, बगहा बाजार	171	आर०टी० ए०, मुजफ्फरपुर	
2		अगनपुर से पटना	धुरौत, भीठामोर, सुरसंड, सीतामढ़ी, डुमरा, बोहा चौक, गरहा, रुन्नीसैदपुर, झपहा, द्रोणपुर, सहवाजपुर, न्युजीरोमाईल बस स्टैंड मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर	189	आर०टी० ए०, मुजफ्फरपुर	
3		जगनपुरा मोड़ से गांधी मैदान पटना	अजय मार्केट, कंकड़बाग टेम्पु स्टैंड, पटना जंक्शन	10	आर०टी० ए०, पटना	
4		बरबीशा से मानपुर गया	सारे, वारसलीगंज, नवादा, हिसुआ, वजीरगंज	123	एस०टी० ए०, बिहार	

५